

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला
राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 74/2025
किस्म :- प्रार्थना-पत्र
दायर दिनांक : 26.05.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. श्रीमती कंकुबाई पत्नी श्री मोती जति हरिजन निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जगदीश पिता मोती जाति हरिजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
—प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पिता शंकर जाति नाई की बजाय:-
1/1 श्रीमती संतोषी बाई पत्नी स्व. श्री रामेश्वर जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
1/2 श्री पिन्दु पिता स्व. श्री रामेश्वर जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
1/3 श्री मुकेश पिता स्व. श्री रामेश्वर जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. सरकार भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार साहब उपतहसील गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण


वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 4006 रकबा 0.8337 भूमि ग्राम गिलुण्ड पटवार हल्का गिलुण्ड तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जावे। फिस पत्थरगढ़ी 1000/- रुपये अक्षरे. एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद